न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा

म0प्र0, R 5063-II/16 (42)

1- महेन्द्र कुमार यादव
2- सन्तोष कुमार यादव
3- राजेन्द्र प्रसाद यादव

सभी के पिता श्री विश्वनाथ प्रसाद यादव सभी निवासी झिरिया रीवा, सिविल लाइन रीवा (म0प्र0)

---- रिवीजनकर्तागण,

बनाम

श्रीमती ज्योति यादव पत्नी स्व0श्री नरेन्द्र कुमार यादव उम्र 24 साल, पेशा- घरू कार्य, निवासी झिरिया, रीवा थाना -सिविल लाइन रीवा जिलारीवा म0प्र0,

----- गैररिवीजनकर्ता

के० पी० अग्निहोत्री द्वारा आज दिनांक 11-2-16 को पेश किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता 1959ई.

रिवीजन आदेश विरूद्ध निर्णय न्यायालय अपर आयुक्त महो0 रीवा संभाग रीवा म0प्र0, प्र0क्र0- 479/अपील /14-15

आदेश दिनांक 8-2-2016

मान्यवर,

रिवीजन कर्ता गण की ओर से रिवीजन के आधार निम्नलिखितहैं :-

1- यह कि रिवीजन कर्तागणों ने माननीय अपर आयुक्त महोदय, रीवासंभाग रीवा के आदेश दि0- 8-2-16 प्र0क्र0- 479 /अपील /14-15 के आदेश के विरूद्ध निम्नआधारों पर माननीय न्यायालय में सद्भावना पूर्वक रिवीजन प्रस्तुत कर रहे हैं :-

1यह कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है :- कि न्यायालय तहसीलदार हुजूर जिला रीवा म0प्र0 के राजस्व प्र0क्र0- 382/अ /27 / 11-12 मे पारित आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5063-II/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक ज्योति यादव वादग्रस्त भूमि में हितबद्ध पक्षकार होते हुये भी उसे पक्षकार नहीं बनाया है। तहसीलदार द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना नियमों के विपरीत बटवारा आदेश पारित किया। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप योग्य न होने के कारण स्थिर रखा है। अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0 सी0 जैन) सदस्य	